न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2020 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 15.12.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00094

समस्त ग्रामवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ जरिये प्रतिनिधिः–

1–रतनलाल पिता धनराज जाति माली, उम्र 25 वर्ष निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़
2–किशनलाल पिता पन्नालाल जाति माली, उम्र 24 वर्ष, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़
3–भैरूलाल पिता मूलचन्द जाति माली, उम्र 25 वर्ष, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़
4–नारायण लाल पिता कालु जाति माली उम्र 24 वर्ष, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़
5–विष्णु पिता रतनलाल जाति माली, उम्र 21 वर्ष, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

–निगराकारगण

बनाम

1–चम्पालाल पिता जालम जाति माली, उम्र 50 वर्ष, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़
2–ग्राम पंचायत भूपालसागर जरिये सचिव, ग्राम पंचायत भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आबादी भूमि का बापी पट्टा संख्या 68 दिनांक 05.09.2014 द्वारा ग्राम पंचायत भूपालसागर

प्रकरण संख्या 41/2020 (नि.पं.)
समस्त ग्रामवासी भूपालसागर जरिये प्रतिनिधि रतनलाल पिता धनराज माली निवासी भूपालसागर वगैरा बनाम चंपालाल पिता जालम माली निवासी भूपालसागर वगैरा

उपस्थिति : 1-श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता निगराकारगण
2-श्री बद्रीगिरि गोस्वामी, अधिवक्ता गैर निगराकार सं. 1

निर्णय

दिनांक 16.12.2022

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जरिये मिसल नम्बर 69/2013 से जारी आबादी भूमि का बापी पट्टा संख्या 68 दिनांक 05.09.2014 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूपालसागर के तत्कालीन सरपंच ने अपने मिलने वाले व्यक्ति जो कि गैर निगराकार संख्या 1 है को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने से पूर्व कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया, ना ही गैर निगराकार संख्या संख्या 1 से कोई आवेदन लिया गया और ना ही मौके पर निरीक्षण किया तथा ना ही आपत्ति नोटिस जारी किया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 05.09.2014 निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बद्रीगिरि गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया। गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से दिनांक 19.05.2022 को सरपंच श्री प्यारचन्द भील स्वयं उपस्थित हुआ तथा उसके पश्चात् विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। ग्राम पंचायत, भूपालसागर से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालसागर ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, भूपालसागर के तत्कालीन सरपंच ने अपने चहिते मिलने वाले व्यक्ति जो कि गैर

निगराकार संख्या 1 है को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से उक्त बापी पट्टा जारी किया है जबकि गैर निगराकार संख्या 1 का इस भूमि पर पुराना कब्जा व निर्माण भी नहीं है जिस भूमि का पट्टा जारी किया है वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होकर माताजी के चौक की भूमि में गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया जिससे मंदिर के पास रास्ता भी संकड़ा हो चुका है क्योंकि उक्त भूमि रास्ते की भूमि है जिससे समस्त ग्रामवासियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत, भूपालसागर द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। आवंटी से कोई आवेदन नहीं लिया गया एवं नियम 146 के तहत कोई निरीक्षण नहीं किया गया, नियम 148 के तहत आपत्ति नोटिस भी जारी नहीं किया गया और न ही कोई निलामी कार्यवाही की गई तथा पट्टे की ऐवज में गैर निगराकार से कोई राशि नहीं ली गई सभी नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी कर दिया तथा कोई मिसल भी तैयार नहीं की गई जो पट्टा जारी किया है उस पर ग्राम पंचायत के सचिव के हस्ताक्षर भी नहीं है जिससे सारी कार्यवाही सरपंच द्वारा फर्जी तरीके से करने से तत्कालीन सरपंच पर भ्रष्टाचार किया जाना प्रमाणित है। ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को विक्रय विलेख पट्टा संख्या 68 दिनांक 05.09.2014 गुपचुप तरीके से जारी करने से ग्रामवासीयान को उक्त पट्टे की जानकारी नहीं थी। गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा अवैध निर्माण करने पर ग्राम पंचायत द्वारा उसे नोटिस जारी करने पर जानकारी हुई जिस पर पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देर के यह निगरानी प्रस्तुत की है अतः निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 05.09.2014 निरस्त फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि ग्राम पंचायत भूपालसागर द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 68 दिनांक 05.09.2014 पंचायती राज नियमों की पालना कर जारी किया है जिससे पट्टा पूर्णतया विधि-सम्मत् है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् मिसल कायम कर मौका निरीक्षण कर पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जो गैर निगराकार संख्या 1 को जारी किया गया है वह सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं होकर गैर निगराकार संख्या 1 के कब्जे की पुश्तैनी भूमि है जिस पर गैर निगराकार संख्या 1 पक्का निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। निगराकारगण ने गैर निगराकार संख्या 1 को नाजायज परेशान करने व जलील करने की नियत से निगरानी में मनगढ़न्त तथ्य अंकित कर यह निगरानी पेश की है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण संख्या 41/2020 (नि.पं.)
समस्त ग्रामवासी भूपालसागर जरिये प्रतिनिधि रतनलाल पिता धनराज माली निवासी भूपालसागर वगैरा बनाम चंपालाल पिता जालम माली निवासी भूपालसागर वगैरा

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालसागर द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकारगण ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालसागर द्वारा उक्त विवादित पट्टा सार्वजनिक उपयोग की भूमि जो कि माताजी के चौक एवं रास्ते की भूमि है, पर जारी करना बताया है किन्तु निगराकारगण ने अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टा माताजी के चौक व रास्ते की सार्वजनिक उपयोग-उपभोग की भूमि पर जारी करना प्रतीत होता हो तथा जिसकी वजह से मौके पर रास्ता संकड़ा हो गया हो।

जहां तक अधिवक्ता निगराकारगण ने पट्टा जारी करने से पूर्व आवेदन नहीं लेने, मौका निरीक्षण नहीं करने तथा पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं कर पट्टा जारी करने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भूपालसागर द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार, विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार संख्या 1 से नियमानुसार आवेदन प्राप्त किया है जिस पर विधिवत् मिसल कायम कर उक्त पट्टे की भूमि का नक्शा बनाया गया है एवं आबादी भूमि के निरीक्षण हेतु तीन पंचों को नियुक्त कर मौका निरीक्षण भी किया गया है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नियमानुसार नोटिस/सूचना पत्र भी जारी किया गया है।

निगराकारगण द्वारा अपनी निगरानी में यह तथ्य भी अंकित किया है कि गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है जबकि पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टे पर सरपंच तथा सचिव दोनों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। साथ ही अधिवक्ता निगराकारगण यह भी साबित करने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को गलत तरीके से अथवा अवैध पट्टा जारी किया गया हो तथा अपनी निगरानी में वर्णित/अंकित अन्य तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टा संख्या 68 दिनांक 05.09.2014 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)